

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 07/2019 वाद पत्र

अनवान

1—उदा आत्मज श्रीराम गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

- 1—बालु आत्मज श्रीराम गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—रोशनलाल आत्मज रायमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—धनराज आत्मज रायमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—बगती पुत्री रायमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—महिमा पुत्री रायमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—मीठु बाई पुत्री राइमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 टी0 एक्ट

1—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 30.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 29.05.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत छ के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 562 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 564/2 रकबा 0.23 हेक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 हैक्ट. भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। जिसमे वादी का 1/3 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।



तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 09.01.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में की प्रस्तावित आराजी संख्या 564/2 रकबा 0.18 है 0 भूमि उदा पिता श्रीराम गुर्जर तोलासकाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 564/3 रकबा 0.05 है 0, आराजी संख्या 562 रकबा 0.30 है 0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है 0 भूमि बालु पिता श्रीराम 1/2 रोशनलाल, धनराज बगती महिता पिता रायमल मीठुबाई पत्नि स्व. रायमल 1/2 गुर्जर निवासी तौलासकाखेड़ा खातेदार रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 07/2019 वाद पत्र

अनवान

1—उदा आत्मज श्रीराम गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम


- 1—बालु आत्मज श्रीराम गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—रोशनलाल आत्मज रायमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—धनराज आत्मज रायमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—बगती पुत्री रायमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—महिमा पुत्री रायमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—मीठु बाई पुत्री राइमल गुजर निवासी तौलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 564/2 रकबा 0.18 है0 भूमि उदा पिता श्रीराम गुर्जर तौलासकाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 564/3 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 562 रकबा 0.30 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि बालु पिता श्रीराम 1/2 रोशनलाल, धनराज बगती महिता पिता रायमल मीठुबाई पत्नि स्व. रायमल 1/2 गुर्जर निवासी तौलासकाखेड़ा खातेदार रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 30.01.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।


30.1.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

